प्रेस विज्ञप्ति ***दिनॉक 13.06.2024*** ***जनपद – संतकबीरनगर***

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता रामू राय उर्फ दीपक राय पुत्र झीनई राय उर्फ श्यामदुलारे राय निवासी दुधरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री संजय कुमार वर्मा, हे0का0 अनिल कुमार सिंह, ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार।

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 104 वाहनों से 1,79,500 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.06.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 104 वाहनों से 1,79,500 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पीआरवी आफ द डे

*पीआरवी 3310 द्वारा दो पक्षो में मारपीट/विवाद में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–

* पीआरवी 3310 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत मोहम्मदपुर से कालर ने इवेन्ट संख्या 44921 से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 02 व्यक्तियों (1- शिवांगी पुत्री ओमप्रकाश तिवारी, 2- अनिश पुत्र चन्दप्रकाश तिवारी, निवासी मोहम्मदपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए लोगो को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मलौली अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता

एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए लोगो को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
पीआरवी स्टाफ- आ0 अरविन्द कुमार मिश्रा, हो0चा0 प्रमोद कुमार।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता को किया गया बरामद

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री ब्रजेश सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुधारा *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 090/2024 धारा 363/366/120बी भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अरविन्द कुमार पुत्र मोतीलाल प्रजापति निवासी लोहरौली ठकुराई थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 02.03.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए अपहृता को बरामद कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 13.06.2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-
उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश दुबे, का0 श्रवण यादव,म0आ0 प्रियंका यादव।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म करने, गाली देने तथा फोटो वायरल करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

मा0 मुख्यमन्त्री उ0प्र0 सरकार द्वारा *महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे **मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04)*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री ब्रजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 438/2024 धारा 376/342/324/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता शिवांत गोस्वामी उर्फ अमन पुत्र रामआशीष भारती निवासी काली जगदीशपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को नौरंगिया बाजार के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त वादिनी को **बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और चाय में कोई मादक पदार्थ खिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया।** जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को अविलंब गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पत्ताः-

1. शिवांत गोस्वामी उर्फ अमन पुत्र रामआशीष भारती निवासी काली जगदीशपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव, उ0नि0 अशोक कुमार दुबे, का0 देवी प्रसाद।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 11 वर्ष सश्रम कारावास व 30,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन कनविक्शन**"* व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन शिकंजा**"* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 13.06.2024 को ***न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना बखिरा* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 1139/2016* धारा 363/366/376,(2)स भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त पथारू उर्फ इन्द्रजीत पुत्र स्व0 रामचन्दर निवासी देवकली थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 363,366,376(2)स भा0द0वि0 व ¾ पाक्सो एक्ट के तहत दोष सिद्ध किया जाता है परन्तु अभि0 को उपरोक्त सत्र परीक्षण के मामले में आरोप अन्तर्गत धारा 3(1)(12),3(2)V SC/ST Act के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। उपरोक्त अभि0 को धारा 376(2)स भादवि के तहत 11 वर्ष सश्रम करावास से एवं 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभि0 पथारू को धारा 363 के तहत 4 वर्ष के सश्रम करावास एवं 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 06 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभि0 पथारू को धारा 366 के तहत 6 वर्ष के करावास एवं 5,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 06 माह के कारावास की सजा भुगतनी होगी। धारा 31 सी0आर0पी0सी0 के तहत दोषसिद्ध उपरोक्त की सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी एवं अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को उसकी कारावास की अवधि में सम्मिलित किया जाएगा।